कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात

पत्रांक/एस0एस0ए0/आ0ब्रि0को0/ 3339 /2006–07 दिनांक : 25.01.07

अध्यक्ष / प्रबन्धक
जनकल्याण परिषद
प्रधानकार्यलय 80/5 साइट नं01 किदवई नगर कानपुर

विषय : वैकल्पिक शिक्षा योजनान्तर्गत छः माह के आवासीय ब्रिजकोर्स केन्द्र के संचालन के सम्बन्ध में ।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश सं0 1206/79–5 2006 दिनांक 18 मई 2006 एवं राज्य परियोजना निदेशक के पत्र संख्या 4925–5223 / 2006–07 दिनांक 09 जून 2006 के क्रम में जनपद में आवासीय ब्रिजकोर्स संचालन की स्वीकृत प्राप्त हुई है जिसके अनुपालन में आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परियोजना समिति कानपुर देहात की अनुमति उपरान्त 01 बालक आवासी ब्रिजकोर्स संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अतः आपको आदेशित किया जाता है कि लक्षित बच्चों को आवासीय ब्रिजकोर्स संचालित करने हेतु निम्न शर्तों के अनुसार कार्यवाही एवं पत्राजात तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

1. सर्वशिक्षा अभियान की मार्गदर्शिका के परिशिष्ट 08 के अनुसार 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध पत्र ।
2. नियम और शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर सहित परिशिष्ट 09 पर ।
3. अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले प्रतिनिधि के हस्ताक्षर करने के प्राधिकार के प्रस्ताव की प्रतिलिपि अध्यक्ष / प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित परिशिष्ट 03 पर ।
4. अनुबन्ध पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य होगा

क. कार्य योजना एवं ऐक्शन प्लॉन एवं समय सारिणी ।
ख. कार्य योजना को क्रियान्वयन करने की रणनीति ।
ग. अनुदेशकों एवं कर्मचारियों का नाम एवं पिता का नाम शैक्षिक योग्यता ।

5. केन्द्र संचालन हेतु धनराशि तीन किश्तों में अवमुक्त की जायेगी ।
6. प्रथम किश्त 40 प्रतिशत अवमुक्त की जायेगी ।
7. द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व प्रथम किश्त का कम से कम 75 प्रतिशत का उपभोग प्रमाण पत्र मद वार प्रस्तुत करना होगा
8. अन्तिम / तृतीय किश्त जारी करने के लिये संस्था को लिखित अनुरोध, अभिलेखीकरण एवं चार्टड एकाउन्टेट से आडिट
स्टेटमेन्ट / निर्गत राशि का उपभोग प्रमाण देना होगा ।
9. आवासीय ब्रिजकोर्स के बच्चों की सुरक्षा एवं स्वस्थ्य का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था का होगा ।
10. यदि किसी भी प्रकार की कमी/शिकायत पायी जाती है तो संस्था का अनुदान समाप्त करते हुये प्रशासनिक / विधिक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिये संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी ।
11. केन्द्र संचालन हेतु केन्द्र का पता भवन का मानचित्र एवं भवन स्वामी का सहमति पत्र ।
12. भवन के 60 बच्चों को कक्षा कक्ष, बेड रूम , शौचालय , बिजली , पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो ।
13. केन्द्र पर 11–14 आयु वर्ग के शिक्षा से वंचित बच्चे ही नामांकित होगें जिसकी ।
14. अनुदेशकों की योग्यता हाईस्कूल से कम न हो ।
15. बालिका आवासीय केन्द्र में अनुदेशक, केयरटेकर, रसोइयां महिला होना अनिवार्य है ।
16. चौकीदार की व्यवस्था संस्था को करनी होगी ।
17. केन्द्र सुरक्षा की दृष्टि एवं आवगमन की सुविधा वाले स्थान पर संचालित किय जायेगा ।
18. केन्द्र समाप्ति के उपरान्त बच्चे को उसके घर के निकटम प्राथमिक विद्यालय में स्तर अनुसार कक्षा में नामांकित कराये गये बच्चों की सूची सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी से जांच उपरान्त अन्तिम किश्त निर्गत की जायेगी ।
19. राज्य, मण्डल, जिला, ब्लाक स्तर अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किया जायेगा ।
20. केन्द्र पर निर्धारित संख्या से कम छात्रों / छात्रों के अनुपस्थिति अनुपस्थित पाये जाने पर अनुदान में कटौती कर दी जायेगी।
21. चाय नश्ता लंच एवं डिनर की व्यवस्था समय से एवं मीनू के अनुसार करना होगा तथा भोजन में पौष्टिकता का ध्यान रखना होगा ।

Scanned with OKEN Scanner

22. बच्चों को सम्पूर्ण पठन पाठन सामग्री संस्था द्वारा उपलब्ध करानी होगी ।
23. दिनांक 02.02.2007 तक अनुबन्ध पत्र तथा समस्त अभिलेख जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करा दें । यदि उक्त तिथि तक यह कार्य नहीं होता है तो यह माना जायेगा संस्था केन्द्र संचालन की इच्छुक नहीं है और आपका अवंटन रद्द कर दिया जायेगा ।
24. 6800 रूपये प्रति बच्चा छः माह की अवधि में व्यय करना होगा इससे अधिक व्यय होने पर कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा ।
25. बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति आख्या मासिक उपलब्ध करानी होगी ।
26. राष्ट्रीय पर्वो पर बच्चों द्वारा संस्कृतिक / स्वैच्छिक कार्यक्रम आयोजित करेगें तथा उच्चाधिकारियों को संस्था द्वारा आमंत्रित करना होगा ।
27. निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा द्वारा दिये गये सभी निर्देशों का पालन करना होगा ।
28. केन्द्र में नामंकित होने वाले बच्चों के अभिभावकों से सहमति पत्र प्राप्त कर लें ।

(एस.पी.यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात ।

पृ.सं./एस0एस0ए0/आ0वा0ब्रिजकोर्स/ /2006–07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ ।
2. अपर राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ ।
3. निदेशक साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा लखनऊ ।
4. जिलाधिकारी कानपुर देहात ।
5. मुख्य विकास अधिकारी कानपुर देहात ।
6. प्राचार्य जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान पुखरायां कानपुर देहात ।
7. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कानपुर मण्डल कानपुर ।
8. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी कानपुर देहात ।
9. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात ।
10. समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात ।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला परियोजना सर्व शिक्षा अभियान कानपुर देहात।

पत्रांक / एस0एस0ए0 / 3452 / 2006–07 दिनांक– 12.3.07

1. सार्वजनिक शिक्षोन्नयन संस्थान, हरदोई।
2. बाल एंव महिला कल्याण समिति, फतेहपुर।
3. जन कल्याण परिषद उ0प्र0 कानपुर।

निदेशक साक्षरता एंव वैकल्पिक शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा कार्यालय पत्र संख्या सा0एवं0वै0शि0 / 20142–314 / 2006–07 दिनांक 23–02–07 आपको इसपत्र के साथ सलंग्न कर इस निर्देश के साथ भेजा जा रहा है। कि उक्तपत्र में दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। जिसमें किसी प्रकार की शिथिलता के लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

सलंगनक–उक्तवत

Awasthi

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात

R.B.Pal letar

Scanned with OKEN Scanner